3691/MD/19
3-4-19

अपर्णा यू0
आई0ए0एस0
प्रबन्ध निदेशक

उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड
शक्ति भवन, 14–अशोक मार्ग
लखनऊ – 226001
ई मेल–mduppcl12@gmail.com
☎ : 0522–2288377 (O)

संख्या : 213 /एस0इ0ए0सी0/पाकालि/2019 दिनांक : 30 मार्च, 2019

प्रबन्ध निदेशक,
विद्युत वितरण निगम लि0,
पश्चिमांचल–मेरठ/दक्षिणांचल–आगरा/
मध्यांचल–लखनऊ/पूर्वांचल–वाराणसी।

प्रबन्ध निदेशक,
केस्को–कानपुर।

विषय :– बड़े उपभोक्ताओं के परिसर का संयुक्त निरीक्षण किये जाने के सम्बन्ध में।

आप अवगत है कि वर्तमान में 10 कि0वा0 एवं उससे अधिक भार के उपभोक्ताओं की मासिक रीडिंग उनके परिसर पर स्थापित मीटर की एम0आर0आई0 द्वारा की जा रही है। यह कार्य वाह्य एजेन्सी द्वारा कराया जा रहा है। विगत में बड़े उपभोक्ताओं की मासिक रीडिंग उनके भार के अनुसार राजस्व के महत्व को देखते हुये परीक्षण खण्ड एवं वितरण के अधिकारियों द्वारा संयुक्त रूप से प्रत्येक माह की जाती थी। जैसा कि कारपोरेशन के नियम में निम्नानुसार प्राविधानित भी है:–

क्र0सं0	उपभोक्ता का भार	मासिक रीडिंग लेने हेतु उत्तरदायी अधिकारी
1.	500 के0वी0ए0 एवं उससे अधिक	अधिशासी अभियन्ता (वितरण) एवं अधिशासी अभियन्ता (परीक्षण) संयुक्त रूप से।
2.	100 के0वी0ए0 से 499 के0वी0ए0 तक	उपखण्ड अधिकारी (वितरण) एवं सहायक अभियन्ता (मीटर) संयुक्त रूप से।
3.	51 के0वी0ए0 से 99 के0वी0ए0 तक	उपखण्ड अधिकारी (वितरण) स्वतंत्र रूप से।
4.	25 के0वी0ए0 से 49 के0वी0ए0 तक	सम्बन्धित अवर अभियन्ता (वितरण) स्वतंत्र रूप से।
5.	शेष अन्य	मीटर रीडर द्वारा।

चूँकि वर्तमान में प्रत्येक माह एम0आर0आई0 द्वारा मीटर रीडिंग की जा रही है अतः अधिकारियों द्वारा उपभोक्ता के परिसर का निरीक्षण नहीं किया जा रहा है। जिसके कारण अनेक प्रकार की विसंगतिया यथा ट्रांसफार्मर की क्षमता का स्वीकृत भार के सापेक्ष अत्यधिक होना, 11 के0वी0 Breaker/TPMO का उचित रूप से स्थापित न होना एवं उपभोक्ता द्वारा विद्युत चोरी के प्रयास हेतु की जा रही गतिविधियों का संज्ञान लेना सम्भव नहीं हो पाता है, जबकि उपभोक्ता के परिसर पर भौतिक निरीक्षण से अनेक प्रकार की विसंगतिया स्वमेव संज्ञान में आ जाती है।

अतः निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त तालिका में वर्णित भार की श्रेणी के अनुसार सम्बन्धित उत्तरदायी अधिकारियों/कार्मिकों द्वारा उपभोक्ताओं के परिसर का निरीक्षण अवश्य किया जाये एवं निरीक्षण रिपोर्ट रिकार्ड में रखी जाये।

कृपया माह अप्रैल 2019 से क्षेत्र के अधिकारियों द्वारा इसका अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

Seen

Dir. (Com) C.E(Com-2)

Aparna U.
(अपर्णा यू0)
प्रबन्ध निदेशक

(आलोक कुमार)
अध्यक्ष
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि0
30.3.19

निदेशक (वाणिज्य)
उ0प्र0पा0का0लि0

2/4/19
उ0प्र0 पाकालि

प्रतिलिपि :

1. निजी सचिव, अध्यक्ष महोदय, उ0प्र0 पाकालि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. निदेशक (वाणिज्य), उ0प्र0 पाकालि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
3. मुख्य अभियन्ता (वाणिज्य–I/वाणिज्य–II), उ0प्र0 पाकालि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
4. अधीक्षण अभियन्ता एवं नोडल 'उदय', उ0प्र0 पाकालि0, शक्ति भवन, लखनऊ।

1681/DC/PCL/19
4/4/19

सं0 1076 मुख्य अभियन्ता (वा0–II)/20......
दिनांक 06-04-2019

SE EA

अभियन्ता (वाणिज्य–II)